भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3626

उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 11 अगस्त, 2025

20 श्रावण, 1947 (शक)

विरासत स्थलों के संरक्षण में निजी भागीदारी

3626. **श्री तनुज पुनिया**

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने स्वीकार किया है कि वह अकेले सभी धरोहर स्थलों का संरक्षण नही कर सकता;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा संरक्षण में निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए अल्प-उपयोगित 'धरोहर गोद लें' योजना के अतिरिक्त उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एएसआई सर्वेक्षण में कई संरक्षित स्मारकों की जीर्ण स्थिति की पहचान की गई है, लेकिन उनके जीर्णोद्धार के लिए कोई समय- सीमा नहीं दी गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मौजूद तंत्रों का ब्यौरा क्या है और इन जीर्ण-शीर्ण होते स्थलों के पुनरुद्धार हेतु वर्तमान समय-सीमा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों का संरक्षण करता है। तथापि, भारत के विशाल सांस्कृतिक परिदृश्य को देखते हुए, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों को भी स्थानीय विरासत की सुरक्षा और संरक्षण में भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(ख): निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष (एनसीएफ) और नागरिक जमा योजना के तहत संरक्षित स्मारकों और स्थलों का संरक्षण भी किया जाता है। इसके अलावा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधियों के माध्यम से संरक्षित स्मारकों में सुविधाओं के विकास/प्रदान हेतु निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ सहयोग हेतु एक रूपरेखा तैयार की है। पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने और स्मारकों को पर्यटक-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय संस्कृति मंत्री द्वारा दिनांक 04.09.2023 को "एडॉप्ट ए हैरिटेज प्रोग्रेम 2.0" का नया संस्करण आरंभ किया गया है।

(ग) और (घ): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारकों और स्थलों के संरक्षण तथा अनुरक्षण के लिए धन और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्रीय संरक्षण नीति का पालन करते हुए, आवश्यकतानुसार पेयजल, शौचालय, रास्ते और भूनिर्माण जैसी सुविधाओं का प्रावधान करता है। इसके अलावा, संरक्षित स्मारकों और स्थलों का संरक्षण तथा अनुरक्षण किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

*****